कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या– 9/उपा०कीट०अनु०–11/2014– /कृ0, पटना, दिनांक मई.2015

प्रेषक :

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री दिवाकर सिंह,
मेसर्स गामा ओरगेनोमेड प्लस (प्रा0) लि0,
C&F मेसर्स जी0एल0एग्रोटेक, बी0–46, एस0के0पुरी, पटना, बिहार

विषय :– **कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या–102–103 दिनांक 13.05.2014 वैद्यता तिथि 31.12.2014 का नवीकरण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे प्राप्त आवेदन, कोषागार चालान एवं अन्य संगत कागजातो तथा अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, पटना सदर से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानो के तहत मेसर्स गामा ओरगेनोमेड प्लस (प्रा0) लि0, द्वारा विर्निमित निम्नलिखित कीटनाशियों का उनके विर्निमाण अनुज्ञप्ति एवं प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की वैद्यता तिथि के आलोक में अनुज्ञप्ति संख्या–102–103 दिनांक 13.05.2014 का नवीकरण दिनांक 31.12.2016 तक के लिए किया जाता है। साथ ही मेसर्स गामा ओरगेनोमेड प्लस (प्रा0) लि0, के कार्यालय (अनुज्ञप्ति संख्या–103 दिनांक 13.05.2014) का पता– C&F मेसर्स जी0एल0एग्रोटेक, बी0–46, एस0के0पुरी, पटना, बिहार एवं गोदाम (अनुज्ञप्ति संख्या–102 दिनांक 13.05.2014) का पता–कैलाश नगर, भूपतिपुर, पटना किया जाता है।

क्र०	कीटनाशी का नाम
1	Azadirachtin 0.3% EC
2	Azadirachtin 0.03% EC

2–उपर्युक्त कीटनाशियों का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:– मेसर्स गामा ओरगेनोमेड प्लस (प्रा0) लि0, कैलाश नगर, भूपतिपुर, पटना।

3– यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानो के अनुसार किया जाय।

4– अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण /विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5– भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6– अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7– नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिर्पोट दर्ज करनी होगी।

8– अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विर्निमाता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

9– कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या–102–103 दिनांक 13.05.2014 मूल रूप से संलग्न है।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(धर्मेन्द्र सिंह)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2750 /कृ0, पटना, दिनांक 12 ~~मई~~ जून, 2015

प्रतिलिपि– **(1)** संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/06/15

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।